न्यायालय जिला कलक्टर एवं मजिस्ट्रेट, श्रीगंगानगर

विविध बैंक प्रकरण संख्या 99/2024(GCMS : 2024/137)

ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड (पूर्व मं ए यू फाईनेंसर्स इण्डिया लिमिटेड के नाम से जाना जाता था) शाखा कार्यालय 4-ई-8-जवाहर नगर, प्रथम तल, मीरा चौक रोड़, नजदीक गौड़ हॉस्पीटल, श्रीगंगानगर जरिये अधिकृत हस्ताक्षरकर्त्ता पोर्टफोलियो कलैक्शन मैनेजर मनोज कुमार पुत्र श्री महावीर प्रसाद

बनाम

1. **बलकरन सिंह** पुत्र अमर सिंह निवासी पोस्ट ऑफिस मन्नीवाली वी.पी.ओ. सुन्दरपुरा जिला श्रीगंगानगर
2. **श्रीमती पलविन्द्र कौर** पत्नी श्री बलकरन सिंह निवासी वार्ड नं. 2, 4 एस.डी.पी. सुन्दरपुरा, मन्नीवाली, जिला श्रीगंगानगर

सत्यमेव जयते
Web Copy - Not Official

05.08.2024

पत्रावली पेश हुई। प्रार्थी बैंक/कम्पनी ने जरिये अधिवक्ता श्री सुरेन्द्र कुमार मेहन्दीरता ने एक प्रार्थना पत्र वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत किया है कि प्रार्थी बैंक/कम्पनी द्वारा अप्रार्थीगण बलकरन सिंह एवं पलविन्द्रकौर को ऋण सुविधा के रूप में 2.50/-लाख रूपये ऋण राशि की स्वीकृति दिनांक 16/21.07.2022 को प्रदान की थी। अप्रार्थीगण के खाते में दिनांक 12.02.2024 को 2,68,279/- रूपये की राशि बकाया थी। ऋण की सुरक्षा की एवज में **अप्रार्थी बलकरन सिंह द्वारा बंधक रखी अपनी अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 08, ग्राम पंचायत** मोजरजण्डखारी **पंचायत समिति एवं तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1800 सक्वायार फीट) का** भौतिक कब्जा प्रार्थी बैंक को पुलिस की सहायता से दिलाया जाने की प्रार्थना की है।

मैने, पत्रावली में उपलब्ध उनके प्रार्थना पत्र धारा 14, शपथ पत्र एवं अन्य उपलब्ध दस्तावेजात का भी अवलोकन किया तो पाया कि उक्त प्रार्थना पत्र के अनुसार प्रार्थी बैंक ने **अप्रार्थीगण बलकरन सिंह एवं पलविन्द्र कौर** को ऋण सुविधा के रूप में 2.50/- लाख रूपये **(अखये रूपये दो लाख पचास हजार मात्र)** की

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्रीगंगानगर

स्वीकृति दिनांक 16/21.07.2022 को प्रदान की थी और ऋण की सुरक्षा की एवज में अप्रार्थी बलकरन सिंह ने अपनी अचल सम्पत्ति **पट्टा नं. 08, ग्राम पंचायत मोजरजण्डखारी पंचायत समिति एवं तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1800 सक्वायार फीट),** प्रार्थी बैंक के पास रहन रखी। प्रार्थी बैंक के प्रार्थना धारा 14 एवं उसके समर्थन में प्रस्तुत दस्तावेजात एवं शपथ पत्र के अनुसार अप्रार्थी ऋणी का खाता दिनांक 13.02.2024 को अनर्जक परिसम्पत्ति (एन.पी.ए.) हो गया। बैंक द्वारा अप्रार्थी ऋणियों को धारा 13(2) के नोटिस रजिस्टर्ड डाक से भिजवाये गये थे, रजिस्टर्ड डाक से धारा 13(2) के नोटिस भिजवाने की रसीद एवं प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस के प्राप्त हो गये है।

वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के अन्तर्गत प्रस्तुत प्रार्थना पत्र पर कार्रवाई करने के लिए विवादग्रस्त सम्पत्ति जिसका भौतिक कब्जा चाहा जा रहा है वह सम्बन्धित जिला मजिस्ट्रेट के क्षेत्राधिकार में होना आवश्यक है और दूसरा सम्बन्धित ऋणियों पर धारा 13(2) के नोटिस की तामील ऋणियों/जमानतदारों पर विधिवत् रूप से होनी आवश्यक है।

जहां तक अप्रार्थी ऋणी पर धारा 13(2) के जारी नोटिस 13.02.2024 की तामील का प्रश्न है। प्रार्थना पत्र के अनुसार दिनांक 13.02.2024 को 60 दिवस में राशि जमा करवाने का धारा 13(2) के नोटिस, अ**प्रार्थीगण को रजिस्टर्ड डाक से दिनांक 16.02.2024 को भिजवाये गये थे, जिसकी रसीद पत्रावली में उपलब्ध है। धारा 13(2) के नोटिस प्राप्ति के ऑनलाईन ट्रैक भी पत्रावली में उपलब्ध है, जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को 13(2) के नोटिस प्राप्त हो गए है।** जिसके अनुसार अप्रार्थीगण को धारा 13(2) के नोटिस की तामील होना माना जाना उचित है। इसके बावजूद भी अप्रार्थीगण ने बैंक की समस्त बकाया ऋण राशि जमा नही करवाई है **और न ही शपथ पत्र के अनुसार नोटिस पर कोई आपत्ति या अभ्यावेदन प्रस्तुत** किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:03 IST
Reason: SelfAttested

जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर

जहां तक ऋण की एवज में **अप्रार्थी बलकरन सिंह की अचल सम्पत्ति पट्टा नं. 08, ग्राम पंचायत** मोजरण्डखारी **पंचायत समिति एवं तहसील** सादुलशहर, **जिला श्रीगंगानगर (क्षेत्रफल 1800 सक्वायर फीट),** जो प्रार्थी बैंक के पास बंधक रखी हुई है, का संबध है, वह निम्न हस्ताक्षरकर्ता के क्षेत्राधिकार जिला श्रीगंगानगर में स्थित है परन्तु प्रार्थी बैंक ने ऋण **स्वीकृति प्रार्थना पत्र में बंधक सम्पत्ति गांव सुन्दरपुरा, ग्राम पंचायत मोजरण्डखारी एवं तहसील सादुलशहर, श्रीगंगानगर अंकित किया है** जबकि वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 के प्रार्थना पत्र में **सम्पत्ति पट्टा नं. 8, ग्राम पंचायत मोजरण्डखारी पंचायत समिति एवं तहसील सादुलशहर जिला श्रीगंगानगर साईज 1800 सक्वायार फीट अंकित है।** उम्त दोनों सम्पत्तिया अलग–अलग प्रतीत होती है इसलिए वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 की धारा 14 का प्रार्थना पत्र स्वीकार करने योग्य नहीं है।

अतः प्रार्थी बैंक द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र एवं सलग्न दस्जावेज में अलग अलग सम्पत्ति का अंकन होने के कारण, प्रार्थी बैंक/कम्पनी ए यू स्मॉल फाईनेंस बैंक लिमिटेड का उक्त प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 14 वित्तिय आस्तियों का प्रतिभूतिकरण और पुर्नगठन और प्रतिभूति हित प्रवर्तन अधिनियम 2002 स्वीकार करने योग्य नहीं है। **प्रार्थी बैंक का उक्त प्रार्थना खारिज किया जाता है। प्रार्थी बैंक उक्त अधिनियम 2002 की पूर्ण पालना करते हुए अप्रार्थीगण को पुनः धारा 13(2) के नोटिस जारी कर सम्पूर्ण कार्यवाही नये सिरे से कर पुनः धारा 14 का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत करने के लिए स्वतन्त्र है।** आदेश की प्रति प्रार्थी बैंक को पालनार्थ भिजवाई जावे। पत्रावली दर्ज रजिस्टर होकर, बाद तरतीब तकमील दाखिल दफ़्तर हो।

यह आदेश आज दिनांक 05.08.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

Signature Not Verified
Digitally signed by Lok Bandhu
Date: 2024.09.05 16:53:03 IST
Reason: SelfAttested

(लोकबंधु)
जिला मजिस्ट्रेट
श्री गंगानगर